रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 20, 1991/फाल्गुन 29, 1912
No. 105] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 20, 1991/PHALGUNA 29, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1991

सा. का. नि. 157(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा बम्बई पत्तन से संबंधित भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा.का. नि. 114(अ) दिनांक 7-3-90 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई सारणी में (क) प्रविष्टि 'जवाहर लाल नेहरू पत्तन" के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाए अर्थात्:—

नियुक्त किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
अन्य हित	2

(ख) कालम (2) में "योग" शब्द के समुख संख्या "8" के स्थान पर संख्या "10" प्रतिस्थापित की जाए।

[फा. सं. पी टी-18011-1/89-पी टी (i)]

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20 March, 1991

G.S.R. 157 (E) ;— In exercise of powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 114 (E) dated 7-3-90 relating to the Port of Bombay, namely :—

In the Table below the said notification (a) after the entry "Jawaharlal Nehru Port" the following entry shall be inserted namely :—

Interest to be appointed	No. of persons to be appointed
Other Interests	2

(b) against the word 'total' in the column (2) for the figure '8' the figure '10' shall be substituted,.

[File No. PT-18011-1/89-PT (i)]

सा.का.नि. 158(अ).—महापत्तनन्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (i) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा बम्बई पत्तन के न्यासी मण्डल में अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री निखिल पी. गांधी और श्री चन्द्रकान्त वी पटेल को नियुक्त करती है और भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 425(ई) दिनांक 31-3-90 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 19 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि जोड़ी जाए अर्थात्:—

"20. श्री निखिल पी गांधी—"अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए

21. श्री चन्द्रकान्त वी पटेल— "अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए।"

2. न्यासी के रूप में श्री निखिल पी गांधी और श्री चन्द्रकान्त वी पटेल का कार्यकाल महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 7(2) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[फा. सं. पी टी-18011-1/89 पीटी (ii)]

G.S.R. 158 (E) :— In exercise of powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963) read with sub-section (6) of the said Section , the Central Government hereby appoint Shri Nikhil P. Gandhi and Shri Chandrakant V. Patel representing 'other interests on the Board of Trustees for the Port of Bomaby and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Pots Wing) No. G.S.R. 425 (E), dated 31-3-90 namely :—

In the said notification after Serial Number 19 and the entry relating thereto, the following Serial Number and Entry shall be inserted, namely :—

"20. Shri Nikhil P. Gandhi-Representing 'Other Interest'

21. Shri Chandrakant V. Patel—Representing 'Other Interest".

2. The term of office of Shri Nikhil P. Gandhi and Shri Chandrakant V. Patel as a Trustees will be regulated as per provisions of Section 7(2) of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

[File No. PT-18011-1/89/PT(ii)]

सा.का.नि. 159(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कलकत्ता पत्तन से संबंधित भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 116(अ) दिनांक 7-3-90 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में (क) प्रविष्टि "मर्केन्टाइल मैरीन विभाग" के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए अर्थात्:—

सारणी

नियुक्त किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
अन्य हित	3

(ख) कालम (2) में "योग" शब्द के संमुख संख्या "8" के स्थान पर संख्या "11" प्रतिस्थापित की जाए।

[फा. सं. पी. टी-18011-2/89-पी टी (i)]

G.S.R. 159 (E) :— In exercise of powers conferred by Sub-clause (i) of clause (c) of Sub-Section (1) of Section (3) of the Major Port Trusts Act, 1938 (38 of 1963) the Central Government makes the following amendment in the notification of the Govement of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 116 (E) dated 7-3-90 relating the Port of Calcutta namely :

In the Table below the said notification (a) after the entry "Mercantile Marine Department "the following entry shall be insereted namely :

TABLE

Interests to be appointed	No. of persons to be appointed
Other Interests	3

(b) Against the word 'total' in the column (2) for the figure '8' the figure '11' shall be substituted.

[File No. PT-18011-2/89-PT (i)]

सा.का.नि. 160(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कलकत्ता पत्तन के न्यासी मण्डल में अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री जहांगीर विनय कुमार सिंघा और श्री मंगल दास संघवी को नियुक्त करती है और भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 426(ई) दिनांक 31-3-90 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 19 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि जोड़ी जाए अर्थात्:—

"20 श्री जहांगीर —अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए

21. श्री विनय कुमार सिंघा — अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए

22. श्री मंगलदास संघवी — अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।"

2. न्यासी के रूप में श्री जहांगीर, श्री विनय कुमार सिंघा और श्री मंगलदास संघवी का कार्यकाल महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 7(2) के उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[फा. सं. पीटी-18011-2/89-पी टी (ii)]

G.S.R. 160 (E) :— In exercise of powers conferred by Sub-clause (i) of clause (e) of Sub-Section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1961 (38 of 1963) read with sub-section (6) of the said section , the Central Government hereby appoints Shri Jchangir, Shri Binoy Kumar Signha and Shri Mangal Das Sanghvi representing 'Other Interests' on the Board of Trustees for Port of Calcutta and makes the following amendents in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Port Wing) No. G.S.R. 426 (E) dated 31-3-90 namely —

In the said notification after serial number 19 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted , namely :—

"20. S. Jchangir	'Representing Other Interests'
21. Binoy Kumari Singla	Representing Other Interests
22. Mangla Das Sanghvi	Representing 'Other Intercsts'

2. Ther term of office of Shri S. Jchangir, Shri Binoy Kumar Singha and Shri Mangla Das Sanghvi as a trustee will be regulated as per provisions of Section 7(2) of the Major Port Trusts 1963 (38 of 1963).

[Fill No. PT-18011-2/89,PT(ii)]

सा० का० नि. 161 (अ) —महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मद्रास पत्तन से संबंधित भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 122(अ) दिनांक 7-3-90 में निम्नलिखित संशोधन करती है- अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई सारणी में (क) प्रविष्टि "जल-भूतल परिवहन मंत्रालय" के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए अर्थात् :-

नियुक्त किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
अन्य हित	2

(ख) कालम (2) में "योग" शब्द के संमुख संख्या "7" के स्थान पर संख्या "9" प्रति स्थापित की जाए।

[फा० सं० पी०टी०-18011-3/89—पी टी (i)]

G.S.R. 161 (E) :—In exercise of powers conferred by the sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963) the Central Government makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 122(E) dated 7-3-90 relating to the Port of Madras.

In the Table below the said notification (a) after the entry "Ministry of Surface Transport" the following entry shall be inserted namely :--

Interests to be appointed	No. of persons to be appointed
Other Interests	2

(b) against the word 'total' in the column (2) for the figure '7' the figure '9' shall be substituted.

[File No. PT-18011-3-89-PT1)]

सा.का.नि० 162(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री इन्द्रवदन दौलत भाई रावल श्री रतन लाल के. डिडवानिया को मद्रास पत्तन के न्यासी बोर्ड में "अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं० 427(अ) दिनांक 31-3-90 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात्

18. श्री इन्द्रवदन दौलत भाई रावल —"अन्य हित" का प्रतिनिधित्व करने के लिए

19. श्री रतन लाल के. डिडवानिया —"अन्य हित" का प्रतिनिधित्व करने के लिए

3. न्यासी के रूप में श्री इन्द्रवदन दौलत भाई रावल मद्रास और श्री रतन लाल के. डिडवानिया, मद्रास का कार्यकाल महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 7(2) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[फाइल संख्या पी टी-18011-3-89—पीटी (ii)]

G.S.R. 162(E) :— In exercise of powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963) read with sub-section (6) of the said Section, the Central Government hereby appoints Shri Indravadan Daulatbhai Rawal, Shri Ratanlal K. Didwania, representing Other Interests, on the Board of Trustees for the Port of Madras and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. 427 (E) dated 31-3-90 namely :—

2. In the said notification after Serial Number 17 and the entry relating thereto, the following Serial Number and entry shall be inserted, namely :—

18. Shri Indravadan Daulatbhai Rawal — Representing 'Other Interest'

19. Shri Ratanlal K. Didwania Representing 'Other Interest'

3. The term of office of Shri Indravadar Daulathbai Rawal Madras and Shri Ratanlal K. Didwania Madras as a trustse will be regulated as per provisions of Section 7 (2) of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963)

[(File No.-PT-18011-3-89-PT (ii)]

सा.का०नि. 163(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कांडला पत्तन से संबंधित भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा० का. नि० 117(अ) दिनांक 7 मार्च, 1990 और सा० का० नि० 62(अ) दिनांक 8-2-91 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई सारणी में (क) "रक्षा सेवाएं (नौ सेना)" के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात् :—

नियुक्त किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
"अन्य हित"	5

(ख) कालम (2) में शब्द "योग" के सामने अंक "7" के स्थान पर अंक "12" प्रतिस्थापित किया जाए।

(फा० सं. पी टी 18011-4 89-पी टी (i))

G.S.R. 163(E) :— In exercise of powers conferred by Sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the MajorPort Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Governement makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 117 (E) dated 7th March ,1990 and as amended vide notification No. G.S.R. 62 (E) dated 8-2-91 relating to the Port of Kandla, namely :—

In the Table below the said notification (a) after the entry "Denfence Services (Navy), the following entry shall be substituted namely :—

Interests to be appointed	No. of persons to be appointed
'Other Interests'	5

(b) against the word 'total' in the column (2) for the figure '7' the figure '12' shall be substituted.

[File No. PT-18011-4/89-PT(i)]

सा.का.नि. 164(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री रतिलाल जी सुरेजा, जूनागढ़, श्री वीजाभाई एस कम्बालिया, राजकोट और श्री पी सी चिब, अहमदाबाद को कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है ।

2. न्यासी के रूप में श्री रतिलाल जी सुरेजा, श्री वीजाभाई एस कम्बलिया और श्री पी सी चिब का कार्यकाल महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 7(2) के उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

[फा० स० पीटी-18011-4/89-पीटी (ii)]

G.S.R. 164 (E) :— In exercise of powers conferred by Sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Ports Trusts Act, 1963 (38 of 1963) read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Shri Ratilala , G. Surcja, Junagarh, Shri Vijabhai S. Kambalia, Rajkot and Shri P.C. Chib, Ahmedabad representing 'Other Interests' on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

2. The term of office of Shri Ratilal G. Surcja, Shri Viajbhai S. Kambalia and Shri P.C. Chib as a Trustee will be regulated as per provisions of Section 7(2) of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

[File No. PT-18011-4/89-PT (ii)]

सा० का० नि० 165(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन से संबंधित भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 128(अ) दिनांक 7-3-90 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई सारणी में (क) "रक्षा सेवाएं (नौ सेना)" के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात् :—

नियुक्त किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
"अन्य हित"	2

(ख) कालम (2) में शब्द "जोड़" के सामने अंक "7" के स्थान पर अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाए ।

[फा० सं० पी टी 18011/8/89-पी टी (i)]

G.S.R. 165 (E) :— In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Porf Trust Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 128(E) dated 7-3-90 relating to the Port of Visakhapatnam namely :—

In the Table below the said notification (a) after the entry 'Ministry of Surface Transport' the following entry shall be inserted namely :

TABLE

Interest to be appointed	No. of persons to be appointed
Other Intersts	2

(b) against the word 'total' in the column for the figure '7' the figure '9' shall be substituted.

[File No. PT-18011-8/99-PT(i)]

सा० का० नि० 166(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री किशन लाल, हैदराबाद और श्री के अप्पा राव, विशाखापत्तनम को विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी बोर्ड में "अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं० 432 (अ) दिनांक 31-3-90 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

16. श्री किशन लाल —प्रतिनिधि "अन्य हित"

17. श्री के. अप्पा राव —प्रतिनिधि "अन्य हित"

3. न्यासी के रूप में श्री किशन लाल और श्री के. अप्पा राव का कार्यकाल महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 7(2) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

[फा० सं० पी टी-18011/8/89—पी टी (ii)]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

G.S.R. 166 (E) :— In exercise of powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Ports Act 1963, (38 of 1963) read with sub-section (6) of said Section, the Central Government hereby appoints Shri Kishan Lal, Hyderabad and Shri K.Appa Rao, Visakhapatnam representing 'Other Interests' on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 432 (E) dt. 31-3-90.

2. In the said notification after Serial No. 15 and the entry relating thereto , the following Serial Numbers and entry shall be inserted namely :—

16. Shri Krisban Lai — Representative 'Other Interest'
17. Shri K. Appa Rao — Representative 'Other Interest

3. The term of office of Shri Kishan Lal and Shri K. Appa Rao as a Trustee will be regualted as per provisions of Section 7 (2) of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

[File No. PT-18011-8/89-PT (ii)]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991